कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या–एम0ई0–3/2024/1258 लखनऊःदिनांक 27/6/,2024

यू0पी0 नीट एम0डी0एस0–2024 की ऑनलाइन काउन्सिलिंग के संबंध मे महत्वपूर्ण सूचना/निर्देश

- यू0पी0 नीट एम0डी0एस0–2024 की ऑनलाइन काउसिंलिंग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित तकनीकी संस्था राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) के सहयोग से **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0** द्वारा करायी जायेगी। किसी भी अनाधिकृत संस्था/व्यक्ति के स्तर पर लिए गये प्रवेश पूर्णरूप से अवैध है, जिसका उत्तरदायित्व चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 का नहीं होगा।

- किसी भी अनाधिकृत संस्था/व्यक्ति अथवा स्वयं के स्तर पर लिए गये समस्त प्रवेश पूर्णरूप से अवैध माने जायेंगे। यदि भविष्य में ऐसे अनाधिकृत प्रवेश के संबंध मे इस कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा। जिस पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

- एन0बी0ई0एम0एस0 द्वारा आयोजित नीट एम0डी0एस0–2024 परीक्षा में सफल घोषित किए गये अभ्यर्थी ही यू0पी0 नीट एम0डी0एस0–2024 काउसिंलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह है।

- यू0पी0 नीट एम0डी0एस0–2024 के ऑनलाइन काउन्सिलिंग से सम्बन्धित समस्त सूचना विभागीय वेबसाइट वेबसाइट www.dgme.up.gov.in तथा www.upneet.gov.in पर प्रदर्शित की जाएगी।

- ***निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेज में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी सम्बन्धित कालेज के बारे मे स्वयं अथवा अभिभावक सम्पूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त कर ले। अन्यथा की स्थिति मे इस कार्यालय का कोई उत्तर दायित्व नहीं होगा।***

- ***निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेज में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी स्टाइपेण्ड के सम्बन्ध में सम्बन्धित कालेज से अपने स्तर से जानकारी प्राप्त कर लें। अन्यथा की स्थिति में शासन/महानिदेशालय का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।***

- उत्तर प्रदेश के **अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0)** के आरक्षण प्रमाण–पत्र **दिनांक 01 अप्रैल, 2024** अथवा इसके पश्चात् का बना होना चाहिये।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र उ0प्र0 शासन द्वारा अद्यतन प्रारूप पर निर्गत करा लें, जिससे कि प्रमाण–पत्र के ऑनलाइन सत्यापन सुविधाजनक रूप से हो सकें।

- **आरक्षण (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) से सम्बन्धित सभी प्रमाण–पत्र (दिव्यांगता प्रमाण–पत्र को छोड़कर) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उ0प्र0 के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे।**

- **आरक्षण संबंधी कोई भी प्रमाण–पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर मान्य नहीं होंगे।**

- उ0प्र0 राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में माने जायेंगे।

- दिव्यांगजनो के दिव्यांगता प्रमाण–पत्र एम0सी0सी0 / एन0एम0सी0 द्वारा निर्धारित केन्द्रो से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।

कृते महानिदेशक